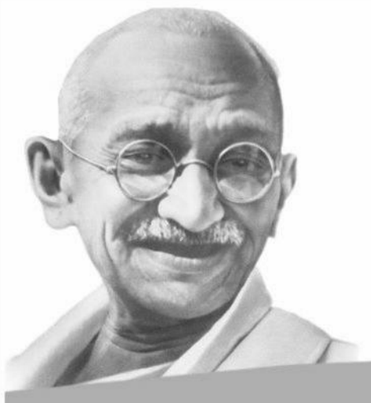

महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
महाराष्ट्र

गांवो मे अकुशल रोजगार निर्माण करके जल व भुमी संवर्धन कार्य के क्रियान्वयन से प्राकृतीक संसाधन व्यवस्थापन द्वारा ग्राम संपत्ती का निर्माण करना ।

पूर्व स्वतंत्रता सेनानी स्व. वि.स. पागे इन्होने ग्रामीन समुदाय को रोजगार का अधिकार, संरक्षण और ग्रामीनों के श्रम से गाँव का शाश्वत विकास होने के उद्देश्य से रोजगार हमी योजना का नियोजन तैयार किया गया था, और इसके साथ साथ १९७२ मे महाराष्ट्र राज्य में अकाल आने से ग्रामीन जीवन प्रभावित हो गया था जिससे खेती पूरी तरह बर्बाद होकर गाँववासीओं के हाथों को काम नही था और ऐसे स्थिती में महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण समुदाय को रोजगार का हक देने के लिए और गाँव के स्थायी विकास कार्य के लिए २६ जनवरी १९७९ को प्रत्यक्षरुप से रोजगार हमी योजना की कार्यवाही शुरु की जिसमें पुरे साल भर ग्रामीन समुदाय को श्रमप्रतिष्ठीत रोजगार का हक मिला। २००५ में केंद्र के सरकार ने पुरे भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कानुन (NREGA) तैयार किया गया,जिसमें पुरे भारत देश में ग्रामीन क्षेत्र में साल मे १०० दिन का रोजगार देने का अधिकार मिला इसे फिर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के दोनों रोजगार हमी योजना को देखते हुये २००६ में महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी कानुन (MREGA) बनाया जिसमें पुरे साल में ३६५ दिन मजदुरों को काम मिलने का हक और अधिकार मिला। यह योजना से गाँव में शाश्वत संपत्ती का निर्माण करके स्वयंपुर्णता लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हम गाँववासी गाँव को समृध्द बनाने के प्राकृतिक संसाधन व्यवस्थापन मे सहायता प्राप्त होती है। किस तरह सहायता दे सकते इसपर यह पुस्तीका में जानकारी दि गयी है।

हर हाँथ को काम, काम का पूरा दाम

ग्रामसभा में काम का नियोजन :

- **साल भर के काम का नियोजन करना जिसमें गाँव मे काम की जगह, काम का नाम, मजदुरों की संख्या, काम के दिन तय करना।**
- **सभी काम का नियोजन ग्रामपंचायत और ग्रामसभा द्वारा ही किया जाता है।**
- **ग्रामसभा की जानकारी गाँव वालों को आठ दिन पहले देनी चाहिए।**
- **नये जॉब कार्ड निशुल्क तैयार करवाना।**

महात्मा गांधी ग्रामीन रोजगार हमी योजना में प्रतिवर्ष कार्य की नियोजन समय पत्रिका

अ.क्र.	समय सारणी	नियोजीत कार्य
१	जुलाई, अगस्त	संबंधीत सरकारी विभागों के साथ काम का नियोजन और सर्व्हेक्षण।
२	अगस्त	ग्रामसभा का आयोजन और मजदुरो के अनुसार नियोजन प्रारुप तैयार करना।
३	सितंबर, अक्तुबर	तहसिल स्तर पर ५०% कामों को ग्रामपंचायत और ५% कामा को संबंधीत नियोजन यंत्रणा को देकर प्रारुप तैयार करना।
४	अक्तुबर	तहसिल रेखाचित्र तैयार करके पंचायत सभा में मान्यता लेना।
५	अक्तुबर	तहसिल का नियोजन जिला पंचायत को भेजकर मान्यता लेना।
६	अक्तुबर	जिला पंचायत द्वारा सभी रेखाचित्र जिलाधिकारी को मान्यता के लिए भेजना।
७	नवम्बर	जिला अधिकारी द्वारा सभी रेखाचित्र को मान्यता देना।
८	दिसंबर	कार्यक्रम अधिकारी ने तहसिल के मान्य हुए कार्य नियोजन की एक प्रती ग्रामपंचायत को उपलब्ध करा देना।
९	जनवरी से जून	नियोजित कार्ये को लागू एवं खत्म करना।

मनरेगा की विशेषतायें :

- साल भर अकुशल काम की हमी
- स्वावलंबी और स्वयंपूर्णता
- ग्राम संपदा की निर्मिती
- मजदुरो को किये हुए काम की वेतनपर्ची
- स्त्री और पुरषो को समान मजदुरी
- हर १५ दिन में ग्राम रोजगार दिन का आयोजन
- बैंक या डाक के द्वारा मजदुरी
- मजदुरी १९२ रुपये /प्रति दिन
- सामाजिक अंकेक्षण, पारदर्शीता तथा जबाबदेही

काम के लिए आवश्यकताऐं :

- जॉब कार्ड
- लाभार्थीओं का प्रत्यक्ष सहभाग
- ग्रामसभा का ठहराव

मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे मजदुरो को निम्नलिखीत सुविधा प्राप्त होती है :

१. काम की जगह पर सुविधा :

- **पीन के लिए पानी :**
  काम की जगहपर सभी मजदुरो को दिनभर जरुरी हो इतने पीने के पानी की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है।
- **छाँव :**
  दोपहर के समय भोजन एवं आराम के लिए मंडप/शेड की व्यवस्था करना, अन्यथा काम की जगह के पास वृक्ष की छाया होनी चाहीए।
- **पत्थर फोडने के काम करनेवाले मजदुरो को चश्मे :**
  जहॉ पत्थर/गिट्टी फोडने का काम होता है वहाँ पर आँख खराब ना हो इसिलीए मोटे काँच के चश्मे, काम के समय तक के लिए मुफ्त मिलना चाहीए।

यह चश्मे धुप में पहनने के जैसे होते है। काम लेने वाले विभाग जैसे-ग्रामपंचायत, कृषी विभाग, सिंचाई विभाग, बांधकाम विभाग इत्यादी द्वारा उपलब्ध कराकर देना है।

- **औजार को धार लगाना :**

  मजदुर उपयोग कर रहे औजारो को जब भी धॉर लगाना हो तब अगर मजदुर का खुद का औजार हो तो हर रोज दो रुपये के हिसाब से शुल्क मिलेगा।

- **औजार तथा पिने के पानी के बर्तन का किराया :**

  काम के मजदुर अपना और इस्तेमाल कर रहा हो तब तक हर एक औजारो का हर रोज एक रुपया प्रति दिन के हिसाब से किराया मिलेगा उसी तरह से पानी के लिए गुंडी/घडा जैसे बर्तन जब मजदुर खुद के लाता है उसके भी हर रोज हर एक बर्तन का प्रति दिन एक रुपया किराया मिलेगा। यदी काम की जगह पर पानी की सुविधा नही की गयी हो तो और मजदुर खुद अपने लिए व्यवस्था करे जैसे नाले, झिरे इत्यादी पर जा कर पानी पिए तब मजदुर को हर रोज एक रुपया किराया दिया जाता है।

- **इलाज/प्रथमोपचार :**

  काम करते समय अगर मजदुर घायल होता है तो वही काम की जह पर मलम पट्टी आदिकी व्यवस्था होनी चाहिए।

- **बच्चो की व्यवस्था :**

  यदी कोई मजदुर महिला के बच्चे हो तो उस बच्चे के लिए छाँव तथा झुले जैसी व्यवस्था तथा देखभाल के लिए एक आया को रखना जरुरी है।

२. उपयुक्त सुविधाएँ :

- **यात्री किराया :**

  यदी काम ही जगह ५ कि.मी. या इससे ज्यादा दूर है तब मजदुरो को काम की जगह तक जाने का यात्री किराया के लिए १०% जादा मजदुरी दी जायेगी । यह यात्री किराया उस काम के लिए एक बार ही मिलेगा।

- **ठहरने की व्यवस्था :**

  यदी काम की जगह पर मजदुरो को ठहरने पडे तो उनके निवास के लिए छाँवनी /शेड मुहैय्या कराना सरकार की जिम्मेदारी रहेगी।

- **इलाज का खर्च :**

- यदी काम करते समय मजदुर ज्यादा घायल हो जाए और उसका अस्पताल में इलाज करवाना पडे तो उसका इलाज का पुर्ण खर्चा मिलना तथा वह पुर्णत: ठीक होने तक उसकी मजदुरी का आधा वेतन उसे मिलता है ।

- **नुकसान की भरपाई एवं अनुदान :**

  किसी मजदुरो को काम करते समय कोई दुर्घटना होने से विकलंगता आ जाए तब उस मजदुरों कों सरकार की ओर से रुपये ५,०००/- का अनुदान प्राप्त होगा यदी दुर्भाग्यवश किसी स्त्री या पुरुष मजदुरी का काम की जगह मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को रुपये ५०,०००/- का सानुग्रह अनुदान सरकारी की ओर से मिलता है।

३. महिला तथा पुरुषों को परिवार नियोजन में मिलनेवाली सुविधाएँ :

- **प्रसुती की छुट्टी :**

  यदी किसी गर्भवती महिला ने पहले के साल में ७५ दिन याने तकरीबन ढाई महिने तक म.गां.ग्रा.रो.ह.यो. मे काम किया हो तो उसे १५ दिनप की छुट्टी तथा मजदुरी का अनुदान मिलेगा। इस के लिए उस महिला की हाजरी नियम से हाजरी पुस्तिका में तथा जॉब कार्ड में दर्ज होनी चाहिए।

- **परिवार नियोजन की छुट्टी :**

  यदी किसी महिला मजदुर ने परिवार नियोजन का ऑपरेशन किया हो तो उसे ऑपरेशन का दिन पकडकर १४ दिन की छुट्टी तथा उतने समय का वेतन भी मिलेगा। कुटुंब नियोजन हेतु अगर काम कर रही महिला तंबी लगवाने हेतु अस्पताल जाती है तो उसे उस दिन की छुट्टी तथा उतने समय का मजदुरी वेतन अनुदान मिलेगा। कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करवाने वाले पुरष मजदुरो को भी ७ दिन की छुट्टी तथा मजदुरी वेतन अनुदान मिलता है।

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना

१. मजदुरों के लिए व्यक्तिगत लाभ

अ.क्र.	आवश्यकताएँ या काम	संपर्क/श्रोत	टिप्पणी
१	पंजीकरण	ग्रामपंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, सरपंच	हर ५ साल के बाद पंजीकरन जरुरी
२	जॉब कार्ड बनवाना (नमुना क्र.१ (अ)और ३ (ब) भरकर जमा करे)	ग्रामपंचायत	फोटो का खर्च ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।
३	काम की माँग करना	ग्रामपंचायत	नमुना क्र.४ या सादे कागज पर लिखे
४	काम माँग करने की रसीद	ग्रामपंचायत	नमुना क्र.५ भरकर हस्ताक्षर लेकर मजदुर अपने पास रखे
५	काम माँग मंजूर पत्र	संबंधीत काम देने वाले विभाग जैसे - कृषि विभाग, जि.प., बांधकाम विभाग, ग्रामपंचायत इत्यादी.	नमुना क्र.७ से मजदुर को संबंधीत काम देने वाला विभाग सुचित करता है ।
६	हाजरी पत्र/मस्टर रोल (संबंधीत कार्य देने वाले विभाग द्वारा तैयार किया जाता है जो दो प्रती में होना चाहिए)	संबंधीत काम देने वाला विभाग	एक प्रती मजदुरो के लिए ग्रामपंचायत में उपलब्ध होती है ।
७	साल भर में ३६५ दिन काम मिलेगा	ग्रामपंचायत/संबंधीत सरकारी विभाग	अकुशल तथा श्रमप्रतिष्ठाका ३६५ दिन रोजगार मिलेगा
८	मजदुरी रु.१९२/- प्रतिदिन की दर से देय होगा	संबंधित विभाग/ग्रामपंचायत बढाई जायेगी।	उपरोक्त समय-समय पर मजदुरी की दर
९	१५ दिन के काम के मजदुरी का वितरण	संबंधित विभाग/ग्रामपंचायत	पोस्ट या बैंक द्वारा भुगतान
१०	काम नही मिलने पर शिकायत	सरपंच, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, तहसिलदार, उपजिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जिल्हाधिकारी	लिखीत अर्जी करे
११	शिकायत का निवारण ७ दिन में	संबंधित विभाग प्रमुख	----
१२	बेरोजगारी भत्ता - काम माँग करने के १५ दिन बाद यदि काम नही मिलता है तो, १ दिन के वेतन का २५% भुगतान मजदुर को मिलेगा। यदि ३० दिन के अन्दर भी काम नही मिलता तो ५०% का भुगतान मिलेगा।	संबंधित विभाग/ग्रामपंचायत	काम की माँग की रसीद मजदुर के पास होना अनिवार्य है।

कार्यवाही लेखन का दायित्व पंचायत कर्मियों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को दिया जायेगा।

योजना के सम्बन्धित प्रश्न पूछने का प्रत्येक ग्रामवासी /मजदूर को अधिकार है।

२. किसानो के लिए व्यक्तीगत लाभ

अ.क्र.	किसान के लिये उपयुक्त कार्य	संपर्क/श्रोत	टिप्पणी
१	मिट्टी एंव जल संरक्षण कार्य (खेत की मेड बंदिस्ती, मुर्गी पालन शेड, फलबाग लगाना, बकरी पालन शेड, व्यक्तिगत शौचालय,वर्मी कम्पोस्ट बेड, अझोला का गड्ढा)	कृषि विभाग, ग्राम पंचायत, सामाजिक वनीकरन.	ग्रामसभा में सक्रिय सहभाग लेना जरुरी
२	आवश्यक कागजात -७/१२, खेत का नकाशा.	ग्रामपंचायत, कृषि विभाग	ग्रामसभा में सहभाग लेना जरुरी
३	काम कि ग्राम सभा से मंजुरात लेना	ग्रामपंचायत /संबंधीत विभाग	-
४	खेत का संबंधीत विभागद्धारा सर्व्हे करना	ग्रामपंचायत /संबंधीत विभाग	-
५	काम नही मिलने पर शिकायत	सरपंच, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, तहसिलदार, उपजिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यलपान अधिकारी या जिल्हाधिकारी.	लिखीत अर्ज करें एवं प्राप्ती की प्रति अवश्य ले

३. स्थायी गाँव विकास की प्रक्रिया में योजना का सहभाग

अ.क्र.	मेरा गाँव मेरी योजना	संपर्क/श्रोत	टिप्पणी
१	गाँव में अकुशल तथा श्रम प्रतिष्ठा पर आधारीत रोजगार	ग्रामपंचायत, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, सामाजिक वनीकरन, वनविभाग, सा.बा.वि.इ.	काम मागने पर ७ दिन के अन्दर काम मिलेगा ।
२	गाँव के संसाधनों को विकास - सिंचाई तालाब, नहर, खते की मेड, बंदिस्ती, एवं अन्य मिट्टी एवं जल संरक्षण विधीयाँ, गाँव रास्ते का निर्माण, कुआँ खुदाई, खेल का मैदान,तालाब, कचरे का गड्ढा	ग्रामपंचायत/संबंधीत विभाग ग्रामपंचायत, सार्वजनिक बां.विभाग निर्माण होकर,	गाँव मे शाश्वत संसाधनो का गाँव स्वयंपूर्ण होगा
३	सामाजिक समानता- महिला और पुरुषों को समान मजदुरी	-	समान संधी का निर्माण, १९२-प्रतिदिन मजदुरी
४	विकलांग, गर्भवती तथा स्तनदा माताओं को समान संधी	-	काम के स्वरुपनुसार संधी
५	ग्रामसभा सक्षमीकरण	ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत	सक्रिय सहभागद्धारा सामाजिक अंकेक्षण तथा पारदर्शिता
६	रोजगार के लिए स्थलांतरण पर रोक	ग्रामसभा/ग्रामपंचायत	उपजिविकाओं का निर्माण से जीवनमान में उन्नती

न मशीन न ठेकेदार
रोजगार गारंटी मजदूरों का अधिकार

जनहित में प्रकाशित

Caritas INDIA
The Joy of Service...

कारितास इंडिया, सेंटर फॉर इन्व्हॉमेंटल स्टडीज् इन सोशल सेक्टर - CESSS

ग्राम मलकापूर, पोस्ट गौलखेडा बाजार, ता.चिखलदरा, जि.अमरावती. संपर्क क्रमांक : ०९४२१८२८९९३

Centre for Environmental Studies in the Social Sector • C.E.S.S.S.

साभार : १.www.mahaegs.gov.in २. रोजगार हमी साधन पुस्तीका, संसाधने व उपजिविका गट, प्रयास पूणे ३. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना सरकार के जरुरी निर्णय.

Farmer Friendly non-profit initiative
यह निशुल्क वितरण के लिए है। (केवल निजी वितरण करने हेतू)
YASH, Paratwada